

परिशिष्ट-1

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) क्षेत्र धार जिला धार

क्र/3728
प्रति,

/ रीडर-1 / 2017

धार दिनांक 20/11/17

कार्यापालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (भवन/पथ)
संगम धार।

विषय :- विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 125 द्वारा माननीय श्री कालुसिंह ठाकुर (अवैध उत्खनन के दर्ज प्रकरण के सम्बन्ध में)।
संदर्भ :- आपका पत्र क्र. 26/तक/वि.स./17-18/धार दिनांक 17.11.2017

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा विधानसभा प्रश्न क्रमांक 125 (तारांकित) जानकारी वाही गई है, जो निम्नानुसार प्रेषित है—

क्रं	प्रश्न	उत्तर
क	दिनांक 03 सितंबर 2016 को मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (7) के अंतर्गत धार जिले में पंजीबद्ध प्रकरण में कोन से पटवारी हल्का नम्बर व सर्वे नम्बर की कितनी भूमि पर कितनी मात्रा में अवैध रूप से मुरम का उत्खनन किये जाने का प्रकरण किस फर्म पर दर्ज किया गया है?	दिनांक 03 सितंबर 2016 को मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (7) के अंतर्गत धार जिले में पंजीबद्ध प्रकरण में पटवारी हल्का 38 ग्राम उज्जैनी की भूमि सर्वे नम्बर 30/2, 51/1, 51/2 से 600 फीट लम्बाई, 42 फीट चौड़ाई व 12 फीट गहराई से कुल 302400 घनमीटर अवैध मुरम का उत्खनन का प्रकरण मेसर्स पी. डी. अगवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर महुँ जिला इन्दौर के विरुद्ध दर्ज किया गया है।
ख	क्या दिनांक 03 सितंबर 16 को प्रकरण दर्ज होने तक एकेजीएन के लेबल मानपुर फोरलेन से उज्जैन औद्योगिक क्षेत्र तक निर्माण किये जा रहे फोरलेन के लिए बिना लीज चुकाये रोड निर्माण एजेसी के द्वारा पटवारी हल्का नं. 138 की शासकीय भूमि सर्वे नं. 30/2, 51/1, 51/2 भूमि पर 60 फिट लंबाई 42 फीट चौड़ाई व 12 फीट गहराई से कुल 3 लाख घनमीटर अवैध मुरम का उत्खनन किया जा चुका था?	हो।
ग	क्या प्रकरण का निराकरण हो चुका है। यदि हो तो सुरिकता रोड निर्माण एजेसी पर कितना जुर्माना अधिरोपित किया गया है? व अब तक कितनी राशि वसूली की गई है?	प्रकरण का वर्तमान में निराकरण नहीं हुआ है। प्रकरण शासन साक्ष्य के प्रतिपरिक्षण हेतु दिनांक 23.11.2017 को नियत है।
घ	यदि अब तक वसूली नहीं की गई है तो कब तक की जायेगी? व कितनी राशि वसूल की जायेगी? समयावधि व अधिरोपित अर्थदण्ड की स्थिति बतावे?	प्रकरण का निराकरण नहीं होने से जानकारी निरंक है।

हस्ता
Rajiv
20.11.17

हस्ता
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
क्षेत्र धार जिला धार